RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 416337

145

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रू0 9,52,629/-

बाजारू मूल्य - रू0 2,24,980/-

अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रू0 76,300/-

36,07,19
0.8035

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. ग्राम - सौनई कंजेहरा
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 36 रकबा 0.902

संजय कुमार

बही संख्या ... 2077 ... खण्ड ... 1 ... पृष्ठ ... 97 ... संख्या ...

उप निबन्धक

विक्रय 2,24,983 मालि० 9,52,629/

निबन्धन शुल्क 5000/- प्रति० — 5020/-

श्री/श्रीमती सुखराम पुत्र/पत्नी/पुत्री ओरी

पेशा खेती निवासी सोनई कजेहरा, मो०लालगंज, उन्नाव

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/03/07 समय 3/4 बजे निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक (कमलेन्द्र कुमार)

09/03/07

विक्रेता ... ने लेखपत्र का निष्पादन स्वीकार किया। प्रतिफल रुपया 9,52,629/- ... पूर्व अनुसार प्राप्त किया।

जिनकी पहचान श्री सुखराम उर्फ व संजय कुमार S/o संतराम व श्रीमती शिवकली W/o संतराम R/o उक्त व ब्रजलाल S/o सुखई R/o मिर्जापुर भिखारी पो० नौगांव, फतेहपुर

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

416335

TRY. LKO.

कोषागार लखनऊ से जारी

9 MAR 2007

स. को. अ./ कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ

हेक्टेअर, खसरा संख्या 107 रकबा 0.152 हे0, खसरा संख्या 191 रकबा 0.553 हे0 कुल रकबा 1.607 मे से 0.8035 हे0 स्थित ग्राम- सौनई कन्जेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.8035 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

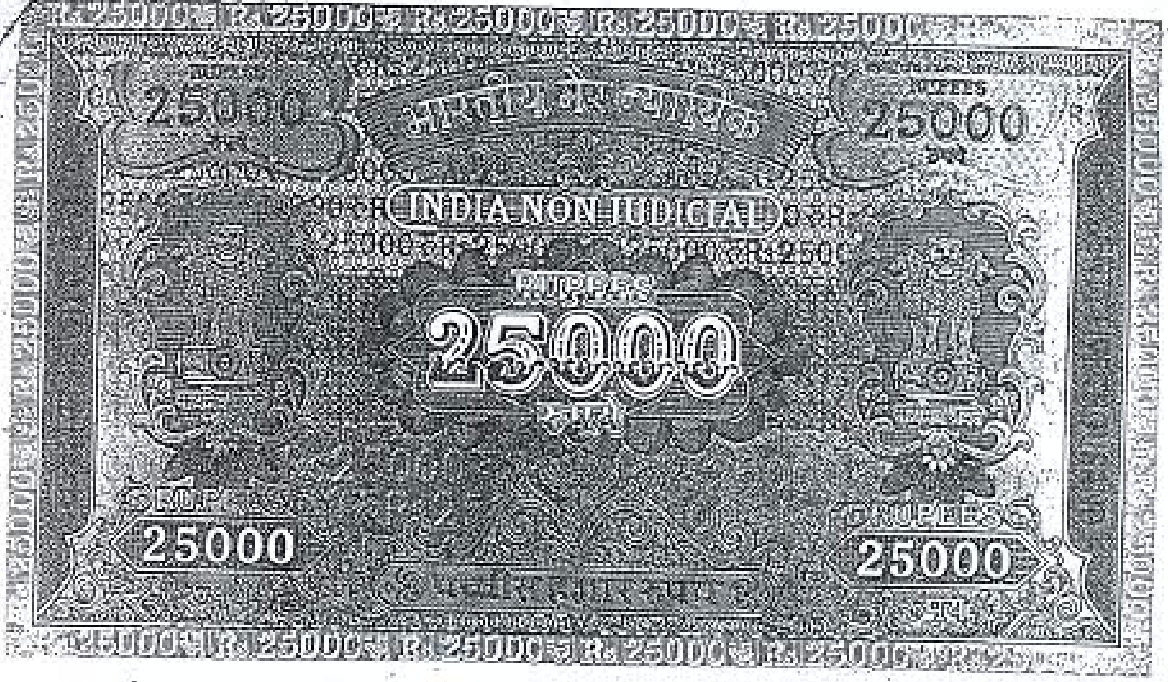

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

416336

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ से जारी
9 MAR 2007
स. को. अ./ कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

-3-

8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि
9. पेड़ों की स्थिति - नही
10. बोरिंग/ कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है ।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 36</u>

उत्तर	: खसरा नं0-37,
दक्षिण	: खसरा नं0-25
पूरब	: खसरा नं0-39, 21
पश्चिम	: खसरा नं0-35, 31

<u>चौहद्दी खसरा नं0 107</u>

उत्तर	: खसरा नं0-108, 109

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 19513(

दक्षिण : खसरा नं0-105
पूरब : खसरा नं0-106
पश्चिम : खसरा नं0-109

चौहद्दी खसरा नं0 191

उत्तर : खसरा नं0-190
दक्षिण : चकरोड व खसरा नं0-204, 205
पूरब : खसरा नं0-192, 194
पश्चिम : चकरोड व खसरा नं0-212, 214, 215, 208

प्रथम पक्ष की संख्या- 3 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-5-

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. सुखराम पुत्र डोरी 2. संजय कुमार पुत्र संतराम 3. शिवकली पत्नी संतराम निवासीगण ग्राम सौनई कजेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ	:	बृजलाल पुत्र सुघई निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

संजय कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह विक्रय विलेख 1. सुखराम पुत्र डोरी 2. संजय कुमार पुत्र संतराम 3. शिवकली पत्नी संतराम निवासीगण ग्राम सौनई कजेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् बृजलाल पुत्र सुघई निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 031977

2 MAR 2007

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 36 रकबा 0.902 हेक्टेअर, खसरा संख्या 107 रकबा 0.152 हे0, खसरा संख्या 191 रकबा 0.553 हे0 कुल रकबा 1.607 मे से 0.8035 हे0 स्थित ग्राम- सौनई कजेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक का मालिक, कामिल व काबिज है तथा सुखराम उपरोक्त सभी खसरा नम्बरों में 1/3 भाग के मालिक व संजय कुमार व शिवकली 1/6 भाग के मालिक है और विक्रेतागण अपना हिस्सा 0.8035 हे0 बेच रहे है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00404 के अनुसार आदेश दिनांक

संजय कुमार

24.04.2006 के द्वारा संतराम का नाम खारिज करके संजय कुमार व शिवकली का नाम बतौर वारिस दर्ज है। भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 9,52,629/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित

संजय कुमार

भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत बसूल कर लें। उस स्थिति में विर्केता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

सजन कुमार

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विकेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सौनई कजेहरा जो कि सामान्य ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 2,80,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.8035 हेक्टेअर की मालियत 2,24,980/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 76,300/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

संजय कुमार

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण सुखराम को रू0 6,35,125/- द्वारा चेक संख्या-411526 दिनांकित 09.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण संजय कुमार को रू0 1,58,752/- द्वारा चेक संख्या-411527 दिनांकित 09.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

3. विक्रेतागण शिवकली को रू0 1,58,752/- द्वारा चेक संख्या-411525 दिनांकित 09.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 9,52,629/- (रूपया नौ लाख बावन हजार छः सौ उन्तीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ:
दिनांक : 09.03.2007
गवाह :-
1. क्रेता की पहचान की
पंकज कुमार
S/o - हरि शंकर
[illegible]
लखनऊ

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की
[illegible]

टाईपकर्ता
(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

ग्राम : मौजा कापेसरा

खसरा नं० 36

रकबा

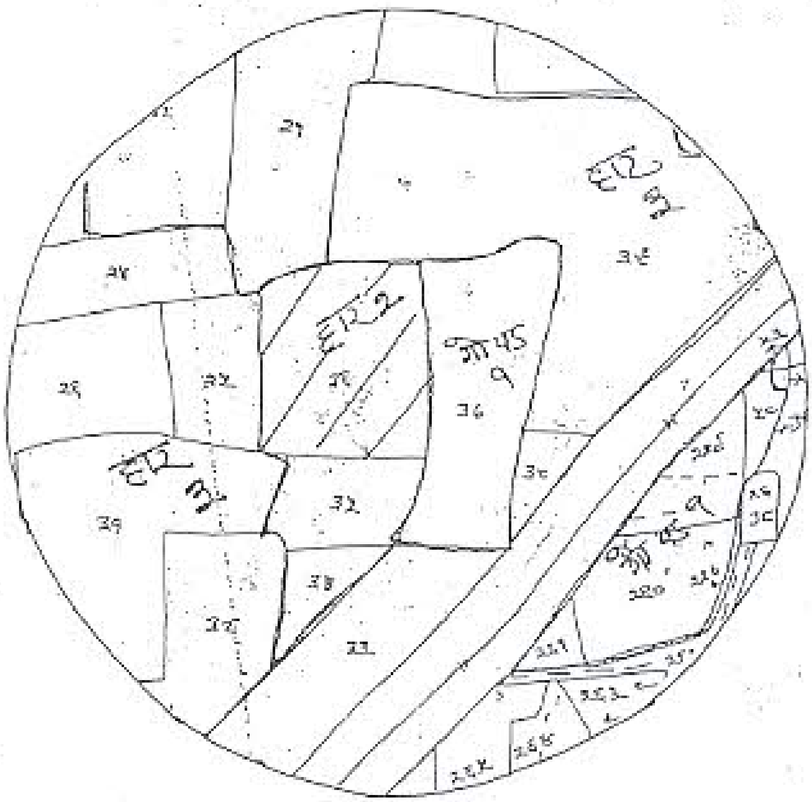

संजय कुमार

विक्रेता

क्रेता

नक्शा नं० 107

नक्शा

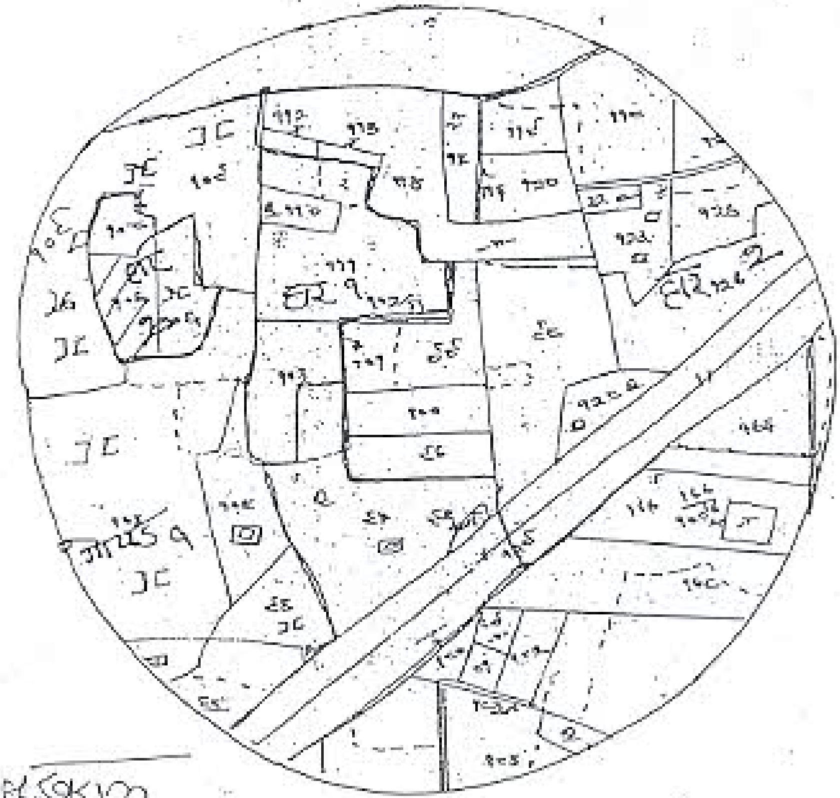

नि०अ० सुरेखा

संजय कुमार

नि०अ० शिवमती

नि०अ० [illegible]

क्रेता

विक्रेता

मौजा- कजेहरा, परगना - मोहनलालगंज, तहसील - मोहनलालगंज

जिला - लखनऊ

खसरा नं० 191

रकबा

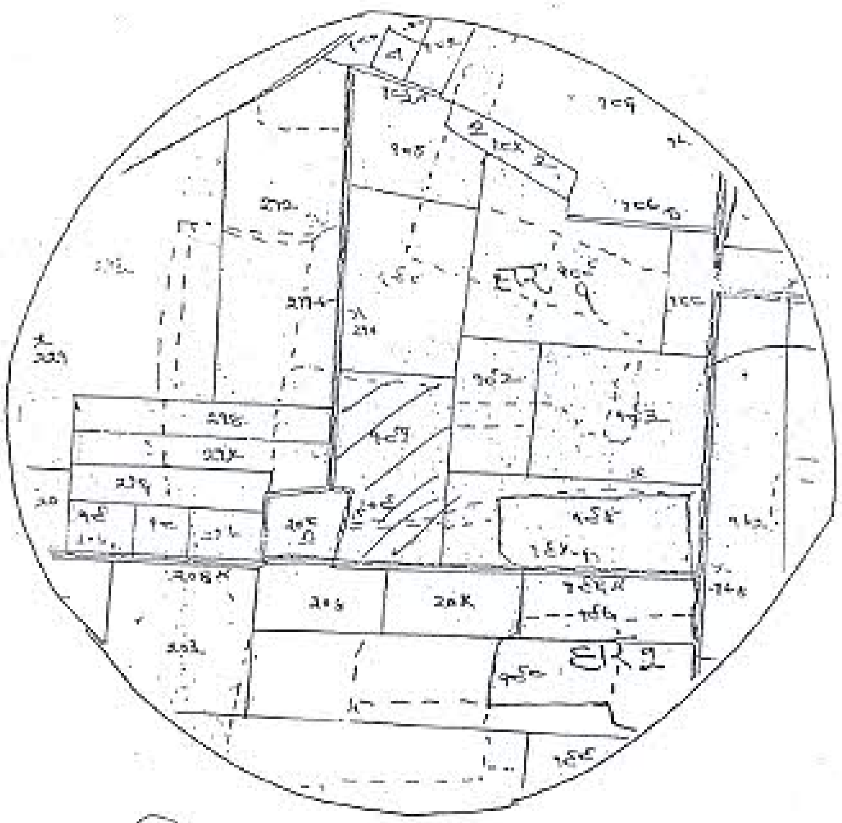

संजय कुमार

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- सुखराज पु० श्री
सिसेंडी कजेहरा मोहनलालगंज

बाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

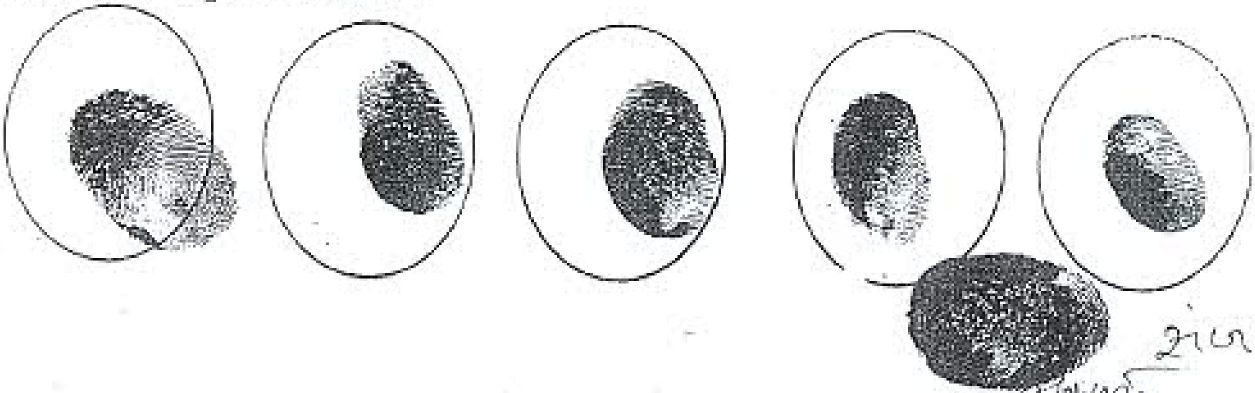

संजय

सुखराज

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- संजय कुमार पु० सन्तराम
सिसेंडी कजेहरा मोहनलालगंज

बाये हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

संजय कुमार

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- शिवकली w/o सन्तराम
सौनहा कजेहरा मोहनलालगंज

बाये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

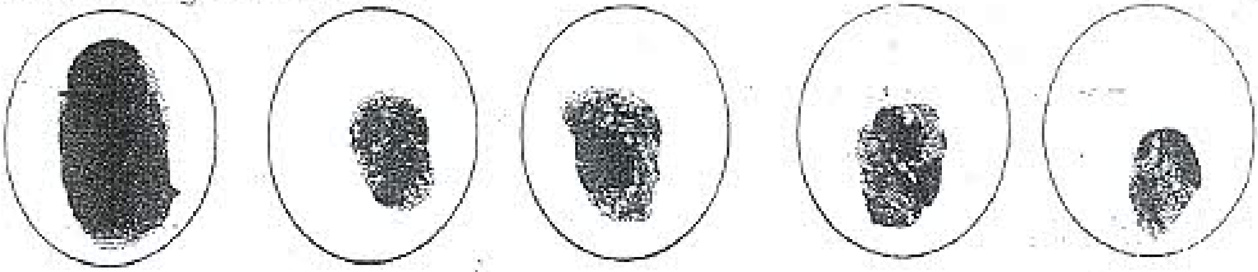

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

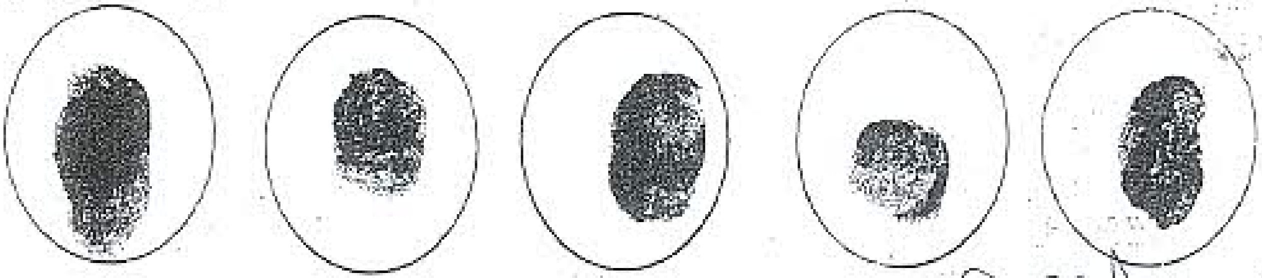

शिवकली

प्रस्तुतकर्ता/वि[illegible] हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- बृजलाल S/o सुखई
ग्राम - भिलीपुर मियरी जिला - फतेहपुर

बाये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

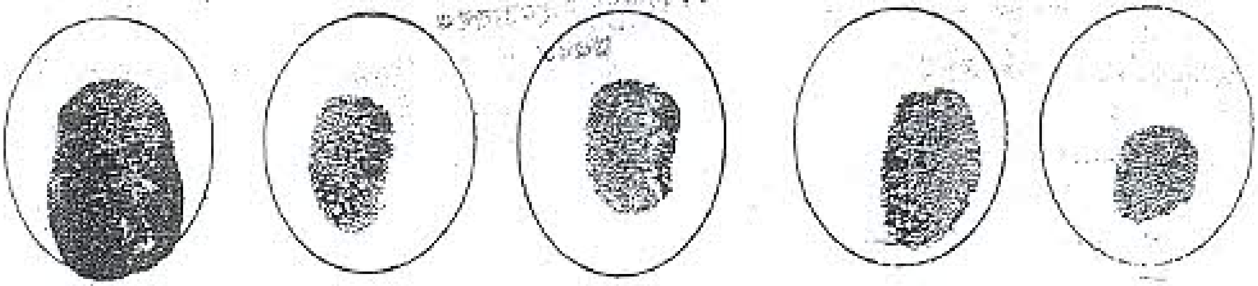

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 09/10/07 को
पुस्तक संख्या ... खण्ड ...
पृष्ठ ... पर पंजीकृत किया गया।

उप निबन्धक मोहनलालगंज
लखनऊ